न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 40 / 2014

1 संजीव कस्वां उम्र 33 साल पुत्र श्रीचन्द कस्वां जाति निवासी इन्दिरा नगर झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
2 विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 उस्मान गनी आयु 61 साल पुत्र मरहुम हाजी गुलाब हुसैन चौहान जाति तैली निवासी गुढ़ागौड़जी हाल मुकिम नडियाद वाला कॉलोनी संख्या 2 बद्री मंजील (पश्चिम) मुम्बई।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ एकपक्षीय अंतिम अस्थाई निषेधाज्ञा
आदेश दिनांक 01.01.2014 अदालत उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी प्रकरण उनवानी उस्मान गनी बनाम संजी वगै.
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 01 / 2014 तारीख पेशी
05.05.2014

उपस्थिति :
1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 3/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2014 में पारित निर्णय दिनांक 01.01.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 106 वाके ग्राम टोडी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आदेश 39 नियम 3 (क) जा.दी. के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की है। आदेश जैर बहस में यह दर्ज नहीं किया कि विपक्षी पक्षकारान को सूचित कर सुनवाई करने में विलम्ब हो जाने से व्यादेश देना बेकार हो जायेगा। विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के बावजूद भी कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की है। अपीलान्टस (विपक्षी पक्षकारान) को सूचना नहीं भिजवाई गई। कानून से एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश पारित होने पर उसे एक माह में निर्णित करना होता है और यदि ऐसा करना संभव नहीं हो तो इस बाबत कारण अभिलिखित करने होते है। आदेश जैर बहस दिनांक 01.01.2014 को पारित किया गया और आगामी पेशी करीब 2 माह की नियत की गई। आज तक आदेश जैर बहस निस्तारित नहीं किया गया है। अपीलान्टस ने विवादित आराजी को पंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत क्रय की है। अपीलान्टस ने सकुरन व महबूब से पंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत जमीन को कब्जे सहित सद्भाविक केता के रूप मे क्रय किया। उक्त विकेतागण दावा मे प्रतिवादी संख्या 7 व 8 है। विनिमय के आधार पर विवादित जमीन के टिनेन्सी राइटस उक्त विकेतागण को मिले। विवादित जमीन को रेस्पोडेन्ट व दावा के प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने दावा के प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को विनिमय के आधार पर स्थानान्तरित कर दी और कब्जा करवा दिया। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने विवादित जमीन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को पंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत अपीलान्टस को स्थानान्तरित कर कब्जा करवा दिया। रेस्पोडेन्ट ने इस के विपरित तथ्य प्लीड कर झुठा मुकदमा पेश किया है। रेस्पोडेन्ट विचारण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आए है। रेस्पोडेन्ट की यह प्लींडिग है कि जमीन खसरा नम्बर 106 रकबा 0.59 है. में से 0.49 हैक्टेयर का विनिमय प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के हक में हुआ और यह प्लींडिग है की प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने उक्त विनिमय के रकबा 0.59 है. का बेचान अपीलान्ट को कर दिया। रेस्पोडेन्ट की उक्त प्लीडिंग क़ी ताईद रिकार्ड से नहीं होती। विनिमय सम्पूर्ण रकबा 0.59 है. का हुआ है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड को नजर अंदाज कर आदेश जैर बहस पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है। अपील अपीलान्टस मंजूर फरमाई जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पारित एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 01.01.2014 को अपास्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 01.01.2014 को विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। इससे पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राजस्थान)